

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 111/2010/कोटा

अपील संख्या 112/2010/कोटा

वाणिज्यिक कर अधिकारी

वर्क्स कान्ड्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा

बनाम

अपीलार्थी

मैसर्स सिटसन इण्डिया प्रा.लि
कोटा

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक

श्री एम.एल. पाटौदी एवं इशू जैन

अभिभाषक एवं सी.ए.

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09.03.2016

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ड्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 30 व 42/आरएसटी/08-09/कोटा में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 17.07.2009 के विरुद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने आलोच्य अवधि 2004-05 एवं 2005-06 में उसे ठेके पर प्राप्त कार्य civil work of 7.5 mw Non conventional Energy producing devices for Rs.600 Lakhs and 800 Lakhs में चम्बल पावर लिमिटेड द्वारा दिया गया था तथा इस कार्य हेतु अण्डरटेकिंग ली गई थी। उक्त अवधि का नियमित कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 24.03.2007 एवं 26.03.2008 को पारित किये गये थे जिनमें कर मुक्ति शुल्क 1.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई थी, परन्तु बाद में कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि उक्त कार्य प्लांट एवं मशीनरी से सम्बन्धित है इसलिए उस पर कर मुक्ति शुल्क 2.5 प्रतिशत की दर लागू है, अतः उन्होंने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 30 के अन्तर्गत एस्केपमेन्ट मानते हुए अन्तर मुक्ति शुल्क 0.75 प्रतिशत की हुए आरोपित अन्तर कर मुक्ति शुल्क व ब्याज के विरुद्ध अपीलीय 4990/- आरोपित किया। उक्त आरोपित अन्तर कर मुक्ति शुल्क व ब्याज के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने पृथक-पृथक अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए आरोपित अन्तर कर मुक्ति शुल्क व ब्याज को अपारत कर दिया है, जिससे असन्तुष्ट होकर ये दोनों अपीलें विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई हैं। चूंकि दोनों अपीलों में समान बिन्दु निहित होने तथा अपीलें एक ही व्यवहारी से सम्बद्ध होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियों दोनों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रूप से रखी जायें।

अपीलार्थी की ओर से अपील संख्या 111/2010 के सम्बन्ध में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि आलोच्य अवधि 2004-05 में उसे ठेके पर प्राप्त कार्य civil work of 7.5 mw Non conventional Energy producing devices for Rs. 600 Lakhs में

22

-2-अपील संख्या 111 व 112/2010/कोटा

चम्बल पावर लिमिटेड द्वारा दिया गया था तथा इस कार्य हेतु अण्डरटेकिंग ली गई थी। उक्त अवधि का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.03.2007 को पारित किया गया था जिसमें कर मुक्ति शुल्क 1.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई थी, परन्तु बाद में कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि उक्त कार्य प्लान्ट एवं मशीनरी से सम्बन्धित है इसलिए उस पर कर मुक्ति शुल्क 2.5 प्रतिशत की दर लागू है, अतः उन्होंने अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत एस्केपमेन्ट मानते हुए अन्तर मुक्ति शुल्क 0.75 प्रतिशत की दर से रु. 2,31,128/- तथा ब्याज रु. 7108/- आरोपित किया, जो विधिक एवं उचित है।

उन्होंने अपील संख्या 112/010 के सम्बन्ध में कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने मैसर्स चम्बल पावर लिमिटेड, रंगपुर, कोटा से ठेका कार्य civil work of 7.5 mw Non conventional Energy producing devices for Rs. 800 Lakhs का प्राप्त किया, इस कार्य से प्राप्त राशि रु. 81,54,000/- पर आटोमैटिक ई.सी. के तहत 1.5 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क की गणना की गई। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अण्डर टेकिंग की फौटो प्रति प्रस्तुत की गई परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कार्यादेश एवं जी शिड्यूल प्रस्तुत नहीं किया गया। उनका कथन है कि प्रस्तुत अण्डर टेकिंग के अनुसार प्राप्त ठेका Non conventional Energy producing device का था जो प्लान्ट से सम्बन्धित कार्य होने के कारण आटोमैटिक ई.सी. के तहत 2.25 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क का दायित्व बनता था। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी उसका स्पष्टीकरण चाहा गया, जिसके लिए तथा कार्यादेश एवं जी शिड्यूल प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा, जिसके लिए समय दिये जाने के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं किये गये। उनका कथन है कि पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा गत वर्ष में ठेका कार्य प्राप्त होने पर तथा अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने पर प्रथम बार आटोमैटिक ई.सी. के तहत 2.25 प्रतिशत से कटौती की गई थी, अतः उक्त कार्य प्लान्ट से सम्बन्धित होने के कारण आटोमैटिक ई.सी. के तहत आलोच्य अवधि 2005-06 की अवधि का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2008 को पारित किया जाकर 2.25 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क 1,83,465/- तथा ब्याज रु. 4990/- आरोपित किया है, जो विधिक एवं उचित है।

उनका कथन है विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा civil work of 7.5 mw Non conventional Energy producing devices को अधिसूचना दिनांक 22.06.1982 के अन्तर्गत कर मुक्त मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर मुक्ति शुल्क को अपास्त किया है, जो अनुचित है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अविधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को बहाल करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 30 में अंकित स्पष्टीकरण के अनुसार जो टर्नओवर पूर्व में अधिनियम की धारा 30 में कर निर्धारित हो गया है उसे रिओपन में शामिल नहीं किया जा सकता है। उनका कथन है कि हस्तगत प्रकरण में पूर्व में पूरा ठेका राशि पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क निर्धारित किया जा चुका है इसलिए उसी ठेका राशि पर अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत पुनःखोलकर कर निर्धारण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के स्तर पर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का दोहराते हुए कथन किया कि जब अधिनियम की धारा 30 में आरोपित कर मुक्ति शुल्क अविधिक है तो उस पर आरोपित ब्याज भी स्वतः अविधिक हो जाता है।

उन्होंने आगे कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किया गया कार्य civil work of 7.5 mw Non conventional Energy producing devices से सम्बन्धित है जो राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(38)एफ.डी/ग्रुप-4/82-14 दिनांक 22.06.1982 के तहत कर मुक्त है, उन्होंने उक्त कथन के समर्थन में कान्ट्रेक्ट की छाया प्रति तथा राजस्थान रिन्युअबल एनर्जी कारपोरेशन का प्रमाण पत्र भी पेश किया तथा अतिरिक्त आयुक्त का दिनांक 21.04.2003 का स्पष्टीकरण की छाया प्रति भी पेश की, जिसमें कृषि एवं म्युनिसिपल वेस्ट से उर्जा निर्माण करने वाले प्लान्ट के भाग व उप कर को भी कर मुक्त माना गया है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में प्रत्यर्थी व्यवहारी को ठेका देने वाली कम्पनी मैसर्स सूर्य चम्बल पावर लिमिटेड (पूर्व में चम्बल पावर लिं.)द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र दिनांक 08.07.2009 की प्रति भी प्रस्तुत की। उन्होंने उक्त के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी। उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया तथा बहस के दौरान उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी ने आलोच्य अवधि 2004-05 एवं 2005-06 में उसे ठेके पर प्राप्त कार्य civil work of 7.5 mw Non conventional Energy producing devices for Rs.600 Lakhs and 800 Lakhs में चम्बल पावर लिमिटेड द्वारा दिया गया था तथा इस कार्य हेतु अण्डरटेकिंग ली गई थी। उक्त अवधि का नियमित कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 24.03.2007 एवं 26.03.2008 को पारित किये गये थे जिनमें कर मुक्ति शुल्क 1.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई थी, परन्तु बाद में कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि उक्त कार्य प्लांट एवं मशीनरी से सम्बन्धित है इसलिए उस पर कर मुक्ति शुल्क 2.5 प्रतिशत की दर लागू है, के अनुसार मुक्ति शुल्क एवं ब्याज कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किया गया, जिसके विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने अपीलें स्वीकार की गई है, जिससे असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से उपरोक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी फर्म की ओर से कर निर्धारण अधिकारी और अपीलीय स्तर पर 'जी' शिड्ययूल प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं होता है कि प्रत्यर्थी फर्म द्वारा किस प्रकृति का कार्य ठेके पर किया गया है। प्रकरण के तथ्यों ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी फर्म द्वारा आलोच्य वर्ष 2005-05 में उसे पर प्राप्त कार्य civil work of 7.5 mw Non conventional Energy producing devices का है, इसिलए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सिविल वर्क पर अन्तर शुल्क लगाया गया है।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 22.06.1982 का उल्लेख किया गया, जिसके तहत Non conventional Energy producing devices को कर मुक्त होने का कथन किया गया है, जिसको उद्धरित किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

S.no. 523: F:4 (38) FD/Gr.IV/82-14 dated 22.06.1982:-

S.O. 51 In exercise of powers conferred under by S.4 (2) RST Act, 1954, the state Govt. hereby exempts from tax the sale and purchase of the under mentioned equipments /systems based on new or renewable source of energy namely:-

—4—अपील संख्या 111 व 112/2010/कोटा

16) Machinery and plants used in the manufacture of any of the above subject items.

उन्होंने अभिवाक् किया कि अतिरिक्त आयुक्त ने मैसर्स कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लि. को दिनांक 21.04.2003 को जारी स्पष्टीकरण में उक्त अधिसूचना को आधार मानकर कर मुक्ति को विधिकता प्रदान की है। स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—

With refrence to your representation for clarificartion under the notification F-4 (38)FD/Gr./IV/82-14 dated 22-06-1982 it is clarified that the benefit of tax exemption would be available on the purchase or sale of parts/Accesories/Equipment, power plants producing energy form Agriculture and Municipal waste.

राज्य सरकार के उपक्रम Rajasthan Renewable Energy Corporation के प्रमाण पत्र से भी यह ठेका कार्य उर्जा अरबन तथा कृषि वेस्ट पर आधारित होना बताया है।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी ने अधिवक्ता द्वारा कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2101 व 2102/2008/कोटा सहायक आयुक्त,वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, वाणिज्यिक कर,कोटा बनाम मैसर्स मधुसूदन इन्जीनियरिंग कम्पनी,बारगुआ में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2013 को उद्धृत करते हुए कथन किया कि यदि मूल कर निर्धारण के समय यदि कोई राशि करारोपित करने से छूटी नहीं है तो पूर्व में करारोपित राशि पर अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत आदेश पारित कर कर एवं ब्याज आरोपित किये जाने को उचित नहीं है।

वर्तमान प्रकरण में मुददा 7.5 Non conventional Energy producing devices पर करारोपण का नहीं है वरन् डिवाईस को मात्र स्थापित करने के लिए दिए गए सिविल कॉन्ट्रैक्ट से सम्बन्धित है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी यह व्याख्या करने में असमर्थ रहे हैं कि किस प्रकार उक्त कार्यादेश सिविल वर्क्स से सम्बन्धित नहीं होकर 'प्लांट एवं मशीनरी' से सम्बन्धित है।

हस्तगत प्रकरण में आलोच्य अवधि 2004-05 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.03.2007 को पारित किया गया था जिसमें कर मुक्ति शुल्क 1.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई थी, अतः उपरोक्तानुसार अब उसी राशि पर 2.25 प्रतिशत की दर से अन्तर कर मुक्त शुल्क एवं ब्याज आरोपित किया जाना उचित नहीं है।

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का विवेचन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर मुक्त शुल्क एवं ब्याज को अपास्त किया है, जो उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर उचित है। फलस्वरूप राजस्व की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सक्ष्य